न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 33/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 22.3.2018
अन्तर्गत धाराः 76 एलआरएक्ट

उनवान

पुष्पाबाई पत्नी गंगाराम जाति माली निवासी बांरा तहसील बांरा जिला बांरा (राज0)।

...अपीलार्थी

बनाम

1. कमलाबाई पुत्री स्व0 भंवरलाल पत्नी रामकिशन जाति माली निवासी बांरा तहसील बांरा जिला बांरा।
2. सुन्दरबाई पुत्री स्व0 भंवरलाल पत्नी शंकरलाल जाति माली निवासी बारां तहसील बांरा जिला बांरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक रेस्पो0 कम–2

:::निर्णय:::

दिनांक 21.11.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 27/2016 अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान कमलाबाई बनाम पुष्पाबाई मे पारित निर्णय दिनांक 21.2.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि कमलाबाई, सुन्दरबाई रेस्पो0 कम 1 व 2 ने प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश कर वर्णित किया कि खातेदार धन्नालाल वल्द भंवरलाल के हिस्से 1/2 की आराजी ख0 नं0 1756 रकबा 0.03 है0, ख0 नं0 2083 रकबा 0.09 है0 ख0 नं0 2090 रकबा 0.10 है0 ख0 नं0 2094 रकबा 0.15 है0, ख0 नं0 2095 रकबा 0.08 है, ख0 नं0 2098 रकबा 0.14 है0 ख0 नं0 2129 रकबा 0.04 है0 कुल 7 किता रकबा 0.83 है0 धन्नालाल व उसके भाई गंगाराम को उनके पिता भंवरलाल से प्राप्त हुई थी तथा वह भंवरलाल की जायन्दा पुत्री है इसलिये उक्त आराजी मे उनका समान हक व हिस्सा है। तहसीलदार बांरा ने धन्नालाल द्वारा वसीयत किये जाने की फोरी तोर पर जांच कर वसीयत दिनांक 31.12.2010 के आधार पर पुष्पाबाई के नाग उसके हिस्से की आराजी का इन्तकाल सं0 937 दिनांक 8.2.2016 वाके ग्राम बांरा खोला गया जो निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि वसीयत फर्जी है जिसकी अधीनस्थ न्यायालय ने सही प्रकार से जांच नही की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त आशय की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित वसीयती आदेश दिनांक 24.11.2015 एवं आदेश की पालना मे तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 937 दिनांक 8.2.2016 वाके ग्राम बांरा निरस्त कर प्रकरण मे धन्नालाल के वैधानिक वारिसान की जांच कर वारिसान या जीवित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर साक्ष्य सबूत से वसीयत की प्रमाणिकता सिद्ध कर धन्नालाल के खातेदारी की उक्त वर्णित आराजी हिस्सा 1/2 को नियमानुसार खाते दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बांरा को दिये गये। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि धन्नालाल लाऔलाद फौत हुवा था उसकी नाते शुदा पत्नि का भी स्वर्गवास हो गया धन्नालाल को आखों से दिखाई नही देता था उसकी सेवा सुश्रूषा भाई गंगाराम व उसकी पत्नी पुष्पाबाई ने की थी तथा धन्नालाल गंगाराम व पुष्पाबाई के पास ही रहते थे। धन्नालाल ने उसके हिस्से

की आराजी पुष्पाबाई के पक्ष मे वसीयतनामा निष्पादित किया था। अपीलांट धन्नालाल जी की वसीयती उत्तराधिकारी है तथा उक्त भूमि अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारणी है। विचारण न्यायालय ने बाद जांच वसीयत उक्त आराजी पुष्पाबाई के खाते दर्ज किये जाने का सही आदेश पारित किया था जिसमे कोई त्रुटि नही है इसके बावजूद भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना जेरअपील आदेश से वसीयती आदेश दिनांक 24.11.2015 एवं उसकी पालना मे तस्दीकी नामा0 सं0 937 को निरस्त करने मे त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2015 के विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की गई थी तथा उक्त आदेश को चुनौती नही दी गई थी रेस्पो0 कम 1 व 2 द्वारा केवल नामा0 सं0 937 के विरूद्ध अपील पेश की गई थी जो कानूनन पोषणीय नही थी इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर हुक्म जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश अवैध, त्रुटिपूर्ण अधिकार विहिन एव मनमाना होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पो0 कम 1 व 2 को प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही था लोकसस्टेण्डाई नही था। रेस्पो0 कम–1 व 2 ने भंवरलाल के फोती नामा0 सं0 479 को चुनौती नही दी गई है इसके उपरांत भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हुक्म जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर हुक्म जेरअपील निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार बांरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2015 एवं उसकी पालना मे तस्दीक किया गया नामा0 सं0 937 यथावत रखे जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट मे अपील उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया रेस्पो0 1 व 2 द्वारा वसीयती आदेश की पालना मे तहसीलदार द्वारा तस्दीक किये गये नामा0 सं0 937 को प्रथम अपीलीय न्यायालय मे इस आधार पर चुनोती दी गई कि विवादित आराजी धन्नालाल व उसके भाई गंगाराम को उनके पिता भंवरलाल से प्राप्त हुई थी तथा वह भंवरलाल की जायन्दा पुत्री है इसलिये उक्त आराजी मे उनका समान हक व हिस्सा है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वसीयती आदेश दिनांक 24.11.2015 एवं उसकी पालना मे तस्दीकी नामा0 सं0 937 को निरस्त करने मे त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2015 के विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की गई थी तथा उक्त आदेश को चुनौती नही दी गई थी रेस्पो0 कम 1 व 2 द्वारा केवल नामा0 सं0 937 के विरूद्ध अपील पेश की गई थी जो कानूनन पोषणीय नही थी इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार कर हुक्म जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश अवैध, त्रुटिपूर्ण अधिकार विहिन एव मनमाना होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पो0 कम 1 व 2 को प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही था लोकसस्टेण्डाई भी नही था। रेस्पो0 कम–1 व 2 ने भंवरलाल के फोती नामा0 सं0 479 को चुनौती नही दी गई है इसके उपरांत भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हुक्म जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है। कथन के समर्थन मे आरआरडी 1988 पेज 628, आरआरटी II पेज 774 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम 2 ने बहस मे बताया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वसीयती आदेश की पालना मे तस्दीकी नामा0 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–2 ने बहस मे बताया कि प्रथम अपील मे मूल आदेश को चेलेन्ज किया है नामा0 मूल आदेश की पालना मे तस्दीक किया गया है ऐसी स्थिति मे मूल आदेश स्वत ही नामा0 से बद्ध है। धन्नालाल लाऔलाद बिना शादी के मरा है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। पैतृक सम्पत्ति की वसीयत करने का धन्नालाल को कोई अधिकार नही है। वसीयत पूर्णतया फर्जी है। वसीयत की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिये वैधानिक व जायज वारिसान या परिवार के सदस्य की साक्ष्य नही ली गई। परीक्षण न्यायालय ने आदेशिका 31.8.2015 पर रेस्पो0 की उपस्थिति दर्शित की है जबकि उनको तलब ही नही किया गया। रेस्पो0 मृतक धन्नालाल की सगी बहिन है इसलिये उनका विवादित आराजी

मे बराबर का हक व हिस्सा है जिसे वह प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया तथा प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर पर गौर किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वसीयती आदेश पारित करने से पूर्व वैधानिक जीवित वारिसान की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किये जाने तथा वसीयत की जांच व बिना साक्ष्य शहादत के ही मात्र वसीयतग्रहिता व एक गवाह की साक्ष्य लेकर धन्नालाल की वसीयत को सही मानकर खातेदारी की वर्णित आराजी हिस्सा 1/2 को अपीलांट पुष्पाबाई के पक्ष मे दर्ज किया जाना प्रकट होने पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित वसीयती आदेश दिनांक 24.11.2015 एवं आदेश की पालना मे तस्दीकी नामा0 सं0 937 दिनांक 8.2.2016 वाके ग्राम बांरा पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जेरअपील निर्णय दिनांक 21.2.2018 से निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बांरा को धन्नालाल के वैधानिक वारिसान की जांच कर वारिसान या जीवित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर साक्ष्य सबूत से वसीयत की प्रमाणिकता सिद्ध कर धन्नालाल के खातेदारी की उक्त वर्णित आराजी हिस्सा 1/2 को नियमानुसार खाते दर्ज करने के आदेश दिये गये है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि "विवादित आराजी धन्नालाल व उसके भाई गंगाराम को उनके पिता भंवरलाल से प्राप्त हुई थी तथा वह भंवरलाल की जायन्दा पुत्री है इसलिये उक्त आराजी मे उनका समान हक व हिस्सा है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वसीयती आदेश दिनांक 24.11.2015 एवं उसकी पालना मे तस्दीकी नामा0 सं0 937 को निरस्त करने मे त्रुटि की है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2015 के विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की गई थी तथा उक्त आदेश को चुनौती नही दी गई थी रेस्पो0 कम 1 व 2 द्वारा केवल नामा0 सं0 937 के विरूद्ध अपील पेश की गई थी जो कानूनन पोषणीय नही है।" पत्रावली मे उपलब्ध आधार के अवलोकन से प्रकट होता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा वसीयती आदेश पारित करने से पूर्व मृतक धन्नालाल के जीवित विधिक वारिसान की सुनवाई का सुमुचित अवसर प्रदान नही किया जाकर मात्र वसीयतग्रहिता व एक गवाह की साक्ष्य लेकर वसीयती आदेश दिनांक 24.11.2015 व आदेश की पालना मे नामा0 सं0 937 तस्दीक किया है। परीक्षण न्यायालय तहसीलदार बांरा की पत्रावली की आदेशिका 31.8.2015 के अवलोकन से भी प्रकट होता है कि आदेशिका मे सुन्दरबाई, कमलाबाई की उपस्थिति दर्शित की है किन्तु उनके आदेशिका मे हस्ताक्षर नही है। नोटिस की प्रोपर तामील होना भी प्रकट नही होता है ऐसी स्थिति मे उनकी उपस्थिति प्रमाणित नही होती है जिससे प्रकट होता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा रेस्पो0 को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही वसीयती आदेश 24.11.15 व उसकी पालना मे नामा0 सं0 937 पारित किया है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली मे उक्त तथ्यो का अभाव पाये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर जेरअपील निर्णय 21.2.2018 पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि किया जाना प्रकट नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार से हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 21.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
संभागीय आयुक्त
कोटा